


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 1991/माघ 19, 1912
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1991/MAGHA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991

भा.का.नि. 62(अ).—महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 की उपधारा
(1) क खण्ड (ग) के उप खण्ड (1) द्वारा प्रबत शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा काण्डला
पत्तन से संबंधित जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष), भारत सरकार की अधिसूचना सं. भा.का.नि.
117 (अ) दिनांक 7 मार्च, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की निम्न सारणी में—

(क) प्रविष्टि “रक्षा सेवाएं—नौ सेना” के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

हित का नाम	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
अन्य हित	2 (दो)

(ख) स्तम्भ (2) में “जोड़” शब्द के सामने “अंक-7” के स्थान पर “अंक 9” प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा सं पी टी-18011/4/89 पी टी (i)]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th February, 1991

G.S.R. 62 (E):—In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. No. 117 (E) dated 7th March, 1990, relating to Port of Kandla namely:—

In the Table below the said notification (a) after the entry ‘Defence Services—Navy’ the following entry shall be inserted namely:—

Interests to be appointed	No. of persons to be appointed
1.	2.
Other interests	2

(b) against the word ‘total’ in column (2) for the figure ‘7’ the figure ‘9’ shall be substituted.

[F. No. PT 18011/4/89-PT(i)]

सा.का.नि. 63(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (i) खंड (ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री प्रभुदास एम कपाडिया को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. न्यासी के रूप में श्री कपाडिया का कार्यकाल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[फा.सं. पी टी-18011-4/89-पी टी (ii)]

जी.के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

G.S.R. 63 (E):—In exercise of powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of the Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Prabhudas M. Kapadia, as a trustee, representing other interests on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

2. The term of office of Shri Prabhudas M. Kapadia as a trustee will be regulated as per provisions of Section 7(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

[F.No.PT-18011/4/89-PT (ii)]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.